

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/430

दिनांक:- 5/08/2019

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव (बीमा /पेंशन) विभाग , राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प10(7)वित्त(राजस्व)/2013 लूज दिनांक 06.08.2018 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प01(1)वित्त/राजस्व/16 दिनांक 25.09.2018 की निरन्तरता में प्री, 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन में संशोधन हेतु पेंशन संशोधन दल में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी-1/11 को सेकिण्डमेन्ट आधार पर निम्नांकित कोषालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	पदस्थापित कार्यालय का नाम(सेकिण्डमेन्ट बेसिस पर)
1.	3351	मोहर सिंह मीना, सलेअ-1	प्राचार्य, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय (छात्रा), कोटा	कोषाधिकारी, कोटा
2.	2798	ओमप्रकाश शर्मा, सलेअ-11	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झालावाड	कोषाधिकारी, कोटा
3.	3842	अशोक कुमार जैन, सलेअ-11	रजिस्ट्रार, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	कोषाधिकारी, कोटा

उक्तानुसार समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/11 को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से बिना किसी पत्राचार के कार्यमुक्त होकर संबंधित कोषाधिकारी के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें । इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गंभीरता से लिया जावेगा ।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-11/430

दिनांक:- 5/08/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 3 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को भेजकर लेख है कि संबंधित सलेअ-ग्रेड-1/11 को सातवें वेतनमान के आधार पर प्री-2018 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें । आप द्वारा संबंधित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थिति कोषालय , पेंशन संशोधन का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछड़ता है तो ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी ।
- 4 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर ।
- 5 अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय
- 6 संबंधित श्रीसलेअ-1/11 कार्यालयको भेजकर लेख है कि आप संबंधित कोषालय में प्री, 2018 के पेंशनर्स की पेंशन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है कि तो अविलम्ब ई-मेल एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774131 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें ।
- 7 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 8 अतिरिक्त निदेशक, निदेशक महोदय ।
- 9 रक्षित पत्रावली ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-11]